



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302005


क्रमांक: एफ33()आ.उ./RIPS-2019/2021

दिनांक 23.02.2021

:: आदेश ::

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 का ऑनलाईन पोर्टल प्रारंभ कर समसंख्यक आदेश दिनांक 29.01.2021 द्वारा राज्य के पांच जिलों में आवश्यक रूप से अनिवार्य कर दिया गया था।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में अर्थात सभी जिला उद्योग केन्द्रों एवं आयुक्तालय, उद्योग के क्षेत्राधिकार में उद्यमों द्वारा किए जाने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी कार्य दिनांक 01.03.2021 से अनिवार्य रूप से ऑनलाईन ही किया जाएगा तथा ऑफलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।



(अर्चना सिंह)
आयुक्त, उद्योग

क्रमांक: एफ33()आ.उ./RIPS-2019/2021

दिनांक 23.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है –

1. प्रभारी अधिकारी, RIPS अनुभाग, आयुक्तालय, उद्योग
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त


(संजय मामगेन)
संयुक्त निदेशक, उद्योग